बिहार कृषि विश्वविद्यालय,
सबौर, भागलपुर–813210

विज्ञापन सं0–04 / 2023 **दिनांक: 26.04.2023**

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय, स्नातकोत्तर विभाग एवं इसके अन्तर्गत महाविद्यालय / संस्थान के विभिन्न गैर–शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण (Skill Test) / कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट www.bausabour.ac.in से दिनांक **28.04.2023** से डाउनलोड कर सकते हैं।

आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है–

1.	आवेदन करने की प्रारंभ तिथि	**28.04.2023**
2.	आवेदन करने की अंतिम तिथि	**19.05.2023**
3.	उचित माध्यम द्वारा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि	**05.06.2023**

नोट– उपर्युक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण (Skill Test) / कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा एवं साक्षात्कार के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जायगा, जिसे विश्वविद्यालय वेबसाइट www.bausabour.ac.in पर देखा जा सकता है।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय,

सबौर, भागलपुर–813210

विज्ञापन सं0–04/2023 **दिनांक: 26.04.2023**

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय, स्नातकोत्तर विभाग एवं इसके अन्तर्गत महाविद्यालय/संस्थान के विभिन्न गैर–शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, कौशल परीक्षण (Skill Test)/कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट www.bausabour.ac.in से दिनांक **28.04.2023** से डाउनलोड कर सकते हैं।

आवेदन भरने से संबंधित तिथि–

1.	आवेदन करने की प्रारंभ तिथि	**28.04.2023**
2.	आवेदन करने की अंतिम तिथि	**19.05.2023**
3.	उचित माध्यम द्वारा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि	**05.06.2023**

1. अनुमान्य आरक्षणवार औपबंधिक रिक्तियों का विवरणः–

क्र0 सं0	पद का नाम	कोटिवार रिक्तियों की औपबंधिक संख्या												
		अना0	अना0 (महिला)	अनु0 जाति	अनु0 जाति (महिला)	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग (महिला)	अ0 पि0 वर्ग	अ0 पि0 वर्ग (महिला)	पिछड़े वर्गों की महिला	अनु0 जन जाति	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)	कुल
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर मुख्यालय व स्नातकोत्तर विभाग के अंतर्गत अस्थायी रूप से रिक्त विभिन्न पदों की विवरणी														
1.	**सहायक**	09	05	04	02	03	01	05	02	01	01	02	01	**36**
2.	**लेखापाल**	04	03	01	01	01	01	02	01	–	–	01	–	**15**
3.	**कम्प्यूटर ऑपरेटर**	02	02	01	01	01	–	01	01	–	–	01	–	**10**
4.	**प्रयोगशाला अनुचर**	14	09	06	03	04	02	07	03	02	01	04	01	**56**
5.	**चालक**	04	03	01	01	01	01	02	01	–	–	01	–	**15**
नालन्दा उद्यान महाविद्यालय, नूरसराय, नालन्दा के अंतर्गत अस्थायी रूप से रिक्त विभिन्न पद की विवरणी														
6.	**लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर**	02	02	01	01	01	–	01	01	–	–	01	–	**10**
मंडन भारती कृषि महाविद्यालय, अगवानपुर, सहरसा के अंतर्गत अस्थायी रूप से रिक्त विभिन्न पद की विवरणी														
7.	**गार्डनर**	02	01	01	–	–	–	01	–	–	–	–	–	**05**

नोटः— (क) बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में कार्यरत स्थायी कर्मचारियों को सीधी भर्त्ती प्रक्रिया के तहत उच्च पद चाहने वाले के लिए उम्र सीमा विश्वविद्यालय परिनियम की अध्याय IV की कंडिका 4.14 में निहित प्रावधान के आलोक में मान्य होगा।

(ख) विज्ञापित पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घट या बढ़ सकती है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताए बिना, किसी एक या सभी पदों के लिए प्रारंभ की गयी भर्ती प्रक्रिया को किसी प्रक्रम पर विज्ञापन या किसी चरण को रद्द किया जा सकता है।

चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय मुख्यालय अथवा महाविद्यालय में प्रतिनियुक्त/पदस्थापित करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा।

2. **शैक्षणिक योग्यताः—** आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को निम्नवत् शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। आवेदन भरते समय आवेदक को आवेदन पत्र के विहित कॉलम में शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा—

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन स्तर	शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता एवं अन्य अर्हता
1.	सहायक	वेतनस्तर—7 (वेतनबैंड 9300—34800 + ग्रेड पे 4600 अपुनरीक्षित)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातक/समकक्ष डिग्री एवं कम्प्यूटर में डी•सी•ए• आवश्यक होगा
2.	लेखापाल	वेतनस्तर—6 (वेतनबैंड 9300—34800 + ग्रेड पे 4200 अपुनरीक्षित)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातक/समकक्ष डिग्री एवं न्यूनतम एक वर्ष का कम्प्यूटर में डिप्लोमा।
3.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	वेतनस्तर—4 (वेतनबैंड 5200—20200 + ग्रेड पे 2400 अपुनरीक्षित)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातक/समकक्ष डिग्री, कम्प्यूटर में डी•सी•ए• तथा कम्प्यूटर टंकन अंग्रेजी/हिन्दी की गति 40/30 शब्द प्रति मिनट।
4.	प्रयोगशाला अनुचर	वेतनस्तर—1 (वेतनबैंड 5200—20200 + 1800 ग्रेड पे, अपुनरीक्षित)	दसवीं उत्तीर्ण एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ्य एवं साईकिल चलाने की योग्यता अनिवार्य है तथा महिला को साईकिल चलाने से छूट होगी।
5.	चालक	वेतनस्तर—2 (वेतनबैंड 5200—20200 + 1900 ग्रेड पे, अपुनरीक्षित)	1. शैक्षणिक— (a) मैट्रिक अथवा समकक्ष (b) छोटे वाहन चालन की अनुज्ञप्ति (व्यावसायिक) LMV (Professional) 2. चयनित अभ्यर्थियों को दो वर्ष के अंदर भारी वाहन चालक (HMV) का लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
6.	लिपिक—सह—कम्प्यूटर ऑपरेटर	वेतनस्तर—4 (वेतनबैंड 5200—20200 + ग्रेड पे 2400 अपुनरीक्षित)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातक/समकक्ष डिग्री, कम्प्यूटर में डी•सी•ए• तथा कम्प्यूटर टंकन अंग्रेजी/हिन्दी की गति 40/30 शब्द प्रति मिनट।
7.	गार्डनर	वेतनस्तर—1 (वेतनबैंड 5200—20200 + 1800 ग्रेड पे, अपुनरीक्षित)	दसवीं उत्तीर्ण एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ्य एवं साईकिल चलाने की योग्यता अनिवार्य है तथा महिला को साईकिल चलाने से छूट होगी।

3. नोट— ''गार्डनर'' पद हेतु बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) द्वारा प्रदत्त डोमेन माली प्रशिक्षण प्राप्त अथवा किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान से छः माह का माली प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. आरक्षणः–

(i) आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में भरा गया स्थायी पता (स्थायी निवास) ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।

(ii) आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(iii) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र सं. 673, दिनांक–08.03.2011 के आलोक में आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिएः–

(a) जाति प्रमाण–पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण–पत्र)

(b) स्थायी निवासी/मूल निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नांकित प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिएः–

(a) जाति प्रमाण–पत्र

(b) स्थायी निवासी/मूल निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

(c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण–पत्र)

(v) आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।

(vi) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवासी/मूल निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं.–2622 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पंति प्रमाण–पत्र उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची–1 (प्रपत्र–1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना स0–13062 दिनांक 12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों को रिक्तियां की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 4 प्रतिशत देय होगा। आवेदन करते समय दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार (मेडिकल बोर्ड) द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत कम–से–कम 40 प्रतिशत या उससे अधिक

प्रतिशत का निशक्तता (दिव्यांगता) प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी भी समय बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थी उसे प्रस्तुत कर सकें।

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2342 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(x) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2526 दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती /नाती/नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र एवं पहचान पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(xi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक –16144 दिनांक 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(xii) उपर्युक्त आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में किये गये दावा के अनुसार सभी प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर द्वारा निर्धारित तिथि होगी। उक्त तिथि के पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5. उम्र सीमा

(i) न्यूनतम आयु – आवेदन करने की अंतिम तिथि (**दिनांक 19.05.2023**) को न्यूनतम उम्र 18 (अठारह) वर्ष।

(ii) अधिकतम आयु– अनारक्षित (पुरूष)–37 वर्ष, अनारक्षित (महिला)/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) –40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)–42 वर्ष।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प संख्या–2374, दिनांक 16. 07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों, को जो 03 (तीन) वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान् की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पांच) वर्षों की छूट अनुमान्य होगा।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के संकल्प संख्या–962, दिनांक 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

(vi) बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर की 24वीं प्रबंध बोर्ड की बैठक में निरस्त किये गये विज्ञापन, जिनके विरूद्ध पूर्व में जिन पदों के विरूद्ध अभ्यर्थी द्वारा आवेदन दिये गये हैं, वैसे अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क में उसी पद हेतु शुल्क में छूट होगी इसके लिए आवेदक द्वारा पूर्व में जमा शुल्क का D.D.No एवं दिनांक आवेदन में भरना आवश्यक होगा एवं उम्र में छूट प्राप्त होगी बशर्ते वे पूर्व में आवेदन करने के समय निर्धारित उम्र सीमा के अंतर्गत रहे हों। इस निमित्त आवेदन करने के समय अभ्यर्थी को D.D.No एवं दिनांक आवेदन में अंकित करना होगा जिसका मिलान कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख से किया जायेगा। कार्यालय द्वारा मिलानोपरांत गलत/असत्य होने पर उम्मीदवारी समाप्त/रद्द कर दिया जायेगा।

(vii) बिहार कृषि विश्वविद्यालय. सबौर के सूचीबद्ध आकस्मिक श्रमिकों हेतु अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष मान्य होगा।

6. (1) परीक्षा/चयन की पद्धति–सहायक/लेखापाल/कम्प्यूटर ऑपरेटर/लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर/प्रयोगशाला अनुचर/चालक एवं गार्डनर पद पर सीधी भर्त्ती हेतु जांच/परीक्षा लिखित (वहुविकल्पीय प्रश्न आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार) 80 अंक तथा साक्षात्कार 20 अंक कुल प्राप्तांक 100 अंको की ली जायेगी। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिए कोई अधिमानता नहीं दी जायेगी।

(2) कम्प्यूटर ऑपरेटर/लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं चालक पद हेतु कौशल परीक्षण (Skill Test) /कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा ली जाएगी। कौशल परीक्षण (Skill Test) /कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा Qualifying प्रकृति का होगा।

(3) मेधा सूची – परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। भर्त्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे।

(4) *मेधा सूची में tie होने पर दिशा–निर्देश:*

अंन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूचि मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी। लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त होने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में उपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जायेगा अर्थात अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में उपर रहेंगे। इसके बावजूद भी यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों तो ऐसे अभ्यर्थी की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण–पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

अन्तिम मेधा सूची के लिए न्युनतम अहर्तांक:

परीक्षा के आधार पर तैयार की जानेवाली अन्तिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्युनतम अहर्तांक 32 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के

अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्तांक 34 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5 प्रतिशत एवं समान्य वर्ग के लिए न्यूनतम अहर्तांक 40 प्रतिशत होगा।

7. परीक्षा शुल्क– (क) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला (आरक्षित/अनारक्षित) एवं 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए रू 200/– (दो सौ रूपये) तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए रू 800/– (आठ सौ रूपये) का प्रत्येक पद हेतु शुल्क निर्धारित है।

(ख) बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर की 24वीं प्रबंध बोर्ड की बैठक में निरस्त किये गये विज्ञापन जिनके विरूद्ध पूर्व में जिन अभ्यर्थी द्वारा आवेदन दिये है, वैसे अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क में छूट होगी बशर्ते की D.D.No दिनांक आवेदन में भरना आवश्यक होगा। अन्यथा परीक्षा शुल्क में छूट नहीं होगी।

(ग) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान अदेय बैक ड्राफ्ट (Demand Draft) के माध्यम से नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (**Comptroller, Bihar Agricultural University, Sabour**) के नाम स्टेट बैंक शाखा, सबौर (कोड संख्या 11805) को देय होगा।

(घ) वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूजित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूजित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा अनुसूजित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूजित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है या उस पर किसी प्रकार संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

8. महत्वपूर्ण निर्देश/आवश्यक शर्ते :–

(1) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र एवं अन्य प्रमाण–पत्र में स्वः अभिप्रमाणित करके आवेदन के साथ संलग्न कर स्व अभिप्रमाणित **''प्रभारी पदाधिकारी (नियुक्ति), नियुक्ति शाखा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर–813210''** पर निर्धारित समय के अंदर पर निबंधित/रजिस्टड डाक द्वारा भेजना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र रहेगा। पतायुक्त लिफाफे के उपर पदनाम एवं विज्ञापन संख्या मोटे अक्षरों में उद्धृत करना अनिवार्य होगा।

(2) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप से उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।

(3) आवेदक द्वारा आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेग। भविष्य में किसी प्रकार का परिर्वतन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय अंतिम निर्णय होगा।

(4) पूर्व से सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत उम्मीदवार को उनके वर्त्तमान नियोक्ता से एन0ओ0सी0–सह–सतर्कता (**NO OBJECTION-CUM-VIGILANCE CLEARANCE**) प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। **अनुसूची –1** के रूप में निर्धारित प्रपत्र संलग्न की गई है।

(5) आवेदन पत्र में विज्ञापन संख्या, पद का क्रमांक, पद का नाम एवं अन्य वांछित सूचनायें भरना आवश्यक है।

(6) आवेदक आवेदन प्रपत्र **www.bausabour.ac.in** **(अनुसूची –2)** से डाउनलोड कर सकते है।

(7) चयनित उम्मीदवार को कम से कम तीन वर्षों के लिए गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बंध पत्र विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा साथ ही तीन वर्षों की अवधि तक वाह्य रोजगार के लिए आवेदन का अग्रसारण विश्वविद्यालय नियम व परिनियम में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा।

(8) किसी खण्ड या नियमों में किसी भी अस्पष्टता या स्पष्टता कि कमी के संबंध में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का रहेगा।

(9) विश्वविद्यालय के खिलाफ किसी भी विवाद, किसी मुकदमे या कानूनी कार्यवाही के मामले में प्रादेशिक क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय, भागलपुर एवं उच्च न्यायालय, पटना तक सीमित होगा।

(10) वैसे सभी अभ्यर्थियों जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा घोषित फर्जी संस्थान से विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए डिग्री या डिप्लोमा या अन्य प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। उसकी पात्रता रदद् कर दी जायेगी।

(11) उम्मीदवार को अलग–अलग पद के लिए अलग–अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा।

(12) नियुक्त उम्मीदवार की सेवा योजना समाप्ति के बाद स्वतः समाप्त हो जायगी।

(13) लिखित परीक्षा/कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा/अन्तर्वीक्षा में भाग लेने के लिए किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(14) किसी भी सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत उम्मीदवारों को आवेदन उचित माध्यम् से भेजना निर्धारित तिथि के अंदर निर्धारित पते पर भेजना अनिवार्य है। उचित माध्यम् से आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति पर उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का पूरा अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेंगा।

(15) इस आवेदन के साथ संलग्न किसी प्रकार का सत्यापित प्रति वापस नहीं किया जायेगा।

(16) आवेदक यदि किसी सरकारी सेवा में है तो अपना आवेदन वर्तमान नियोक्ता के माध्यम से भेजेंगे तथा अग्रिम प्रति अवश्य ही अंतिम तिथि के पहले पहुँच जाना चाहिए।

(17) अभ्यर्थी भरे हुए आवेदन का छायाप्रति निश्चित रूप से अपने पास भविष्य हेतु सुरक्षित रखेंगे, ताकि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर निश्चित रूप से प्रस्तुत कर सके।

(18) अभ्यर्थी को सभी वांछित प्रमाण पत्र मूलरूप में साक्षात्कार एवं कौशल प्रशिक्षण (Skill Test)/कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूलरूप से प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का पूरा अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास होगा।

(19) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड की गई सूचना अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड की गई जानकारी एक निश्चित अवधि के लिए ही रहता है। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि जानकारी डाउनलोड कर भविष्य हेतु सुरक्षित रखेंगे। भर्त्ती के बीच में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् प्राप्त किसी भी आवेदन को न तो विचार किया जाएगा और न ही जानकारी प्रदान की जाएगी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् तथ्यात्मक जानकारी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही प्रदान किया जाएगा।

(20) किसी भी पद के विरूद्ध नियुक्त व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए अधिनियम/परिनियम का पालन करना अनिवार्य है।

(21) अभ्यर्थी द्वारा विश्वविद्यालय बेवसाईट पर विज्ञापन के लिए निर्धारित आवेदन प्रपत्र में हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षारित तथा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये जायेंगे। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

अनुसूची –1

एन0ओ0सी0–सह–सतर्कता (**NO OBJECTION-CUM-VIGILANCE CLEARANCE**) प्रमाण–पत्र

श्री / श्रीमती / सुश्री / डॉ॰...को बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या .... दिनांक.......................... के तहत् पदनाम ....पर चयन होने के उपरांत उसे बिना किसी विलंब के कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री / डॉ॰.. .... के विरूद्ध कार्यवाही या तो लंबित है या विचाराधीन कोई सतर्कता मामला या अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक नहीं है।